

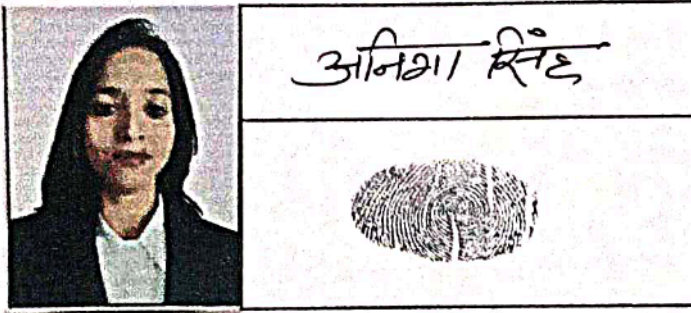
## पूर्व मध्य रेल

कार्यालय  
मंडल रेल प्रबंधक(कार्मिक)  
समस्तीपुर

कार्यालय आदेश संख्या - 83/NG/2026/MPP/SPJ

दिनांक- 30.01.2026

श्री अनिशा सिंह, पुत्री- श्री राम नरेश प्रसाद सिंह, स्टेशन मास्टर, लेवल-06, पश्चिम रेलवे, भावनगर मंडल, जिनका अंतर रेलवे निजी अनुरोध स्थानान्तरण HRMS Transfer Module के आवेदन संख्या-OR00452653 द्वारा तलीय वरीयता पर स्टेशन मास्टर, लेवल-06 में स्वीकृत है, एवं जो मरेप्र (कार्मिक)/भावनगर के कार्यालय आदेश संख्या ET/1140/2/2, दिनांक-06.01.2026 के द्वारा विरमित होकर इस कार्यालय में पदस्थापना हेतु दिनांक 12.01.2026 को रिपोर्ट किये है, तथा जिसे मरेप्र (कार्मिक)/भावनगर के ज्ञापन संख्या- WR/BVCD/APOREL/2370, दिनांक-13.01.2026 के तहत HRMS के माध्यम से संपुष्टि की गई है, को स्टेशन मास्टर, लेवल-06 के तलीय वरीयता पर स्टेशन अधीक्षक/खुदीराम बोस पूसा (KRBP) के अधीन पदस्थापित किया जाता है। इनके इस कार्यालय में रिपोर्ट करने की तिथि से कार्यालय आदेश जारी होने की तिथि तक के अवधि को प्रतीक्षारत मानी जायेगी। उक्त स्थानान्तरण, कर्मचारी के अन्तर रेलवे निजी अनुरोध पर है, अतः इन्हें स्थानान्तरण पर मिलने वाली कोई भी सुविधा देय नहीं है।



Digitally signed by  
TRILOK NATH VERMA  
Date: 30-01-2026  
17:25:34

(त्रिलोक नाथ वर्मा)  
सहायक कार्मिक अधिकारी -III  
कृते मंडल रेल प्रबंधक (का0)  
समस्तीपुर

ECR-SPJOPERS(ORT)/0001/2026 (Computer No-360522),

दिनांक- 30.01.2026

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

01. मंडल रेल प्रबंधक (कार्मिक)/पश्चिम रेलवे, भावनगर, पिन कोड - 364003, संबंधित कर्मचारी का सेवा अभिलेख तथा एपीएआर अविलम्ब इस मंडल को भेजें।
02. वमपचाप्र/सम।
03. वमविप्र./समस्तीपुर
04. स्टेडी/खुदीराम बोस पूसा - कृपया कर्मचारी के योगदान पश्चात् नियमानुसार सफलता पूर्वक प्रशिक्षण के उपरान्त ही संरक्षा से जुड़े कार्य पर स्वतंत्र रूप से लगावें।
05. मुकार्याधी/परिचालन संवर्ग- कृपया उक्त कर्मचारी का वरीयता निर्धारण नियमानुसार करे एवं सेवा अभिलेख प्राप्ति उपरांत वेतन आदि का मिलान करना सुनिश्चित करेगे।
06. मुकार्याधी/बिल- कार्यालय में।
07. मुकार्याधी अनुश्रवण प्रकोष्ठ
08. मंडल मंत्री/ईसीआरईयू, ओबीसी एवं अजा-अजजा एशो0/सम0 मंडल।
09. संबंधित कर्मचारी - आप पदस्थापित स्थल पर पदस्थापना हेतु रिपोर्ट करें।
10. कार्याधी/गोपनीय (एपीएआर सेल)
11. अभिलेख हेतु।